राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - पं.नि.30-105/2015 -

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, (बि.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पंचायत आम निर्वाचन,
2016
अत्यावश्यक

पटना, दिनांक -

विषय : **पंचायत आम निर्वाचन 2016 : दिनांक 12.12.2015 को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध मे कहना है कि मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में अबतक हुए प्रगति की समीक्षा तथा सॉफ्टवेयर आदि के संबंध में **दिनांक 12.12.2015 (शनिवार) को अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे** तक विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग एन.आई.सी., बिहार, पटना में आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग तथा एन.आई.सी. के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, डी.आई.ओ. (एन.आई.सी.), आई.टी. मैनेजर तथा भेन्डर (यदि हो) को अपने स्तर से जिला एन.आई.सी. में विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह/-

सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि.30-105/2015 - 2060 पटना, दिनांक - 10.12.15

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 10/12

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506817, 2506814, 2506894 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmail.com
D/pm5/P_E_2016/44

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचक सूची की तैयारी के लिए दिनांक--10.12.2015 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय कक्ष में एन०आई०सी०, बिहार एवं आयोग के पदाधिकारियों के साथ हुए विमर्श पर कार्रवाई के बिन्दु।

1. आयोग के स्तर से दिनांक--08.12.2015 एवं दिनांक--09.12.2015 को राज्य के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों, आई०टी० मैनेजरो एवं भेण्डरों को मतदाता सूची विखण्डीकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने का ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन दोनों का प्रदर्शन किया गया। जिला के पदाधिकारियों के प्रदर्शन के उपरान्त पदाधिकारियों से उक्त निर्वाचक सूची सॉफ्टवेयर का फीड बैक भी प्राप्त किया गया। तदनुसार आयोग स्तर से निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की समयसीमा को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचक सूची के विखण्डीकरण का कार्य ऑफ लाईन कराने का निर्णय लिया गया। एन0आई0सी0, बिहार के तकनीकी प्रतिनिधियों के द्वारा पुनः सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्वाचक सूची विखण्डीकरण के प्रत्येक प्रक्रम को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार को बताया गया। निर्वाचक सूची विखण्डीकरण के लिए कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक कम्प्यूटर एवं अन्य आवश्यकताओं के बारे में बताया गया।

2. एन0आई0सी0, बिहार के मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालय में विडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक- 12.12.2015 (शनिवार) को अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची विखण्डीकरण का संयुक्त प्रदर्शन एवं परिचालन किया जाना है। इस संबध में सभी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, आई०टी० मैनेजर एवं संबंधित भेण्डर को दिनांक--12.12.2015 विडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग में संयुक्त प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने हेतु निदेश दिया जाय।

3. एन0आई0सी0, बिहार सभी जिलों को जाँच की गई सॉफ्टवेयर उपलब्ध करायेंगे और सॉफ्टवेयर के परिचालन हेतु कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, उसके अधिष्ठापन के तरीके को भी बतायेंगे और इस संबंध में एक लिखित कार्य प्रणाली भी तैयार करेंगे जिसके आधार पर आयोग स्तर से सभी जिला पदाधिकारी--सह--जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को उक्त सॉफ्टवेयर के परिचालन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा सके।

4. सॉफ्टवेयर की तैयारी के पश्चात् निर्वाचक सूची के प्रकाशन अवधि में दावा-आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु वेबसाईट पर भी ऑन लाईन दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु एन0आई0सी0, बिहार एक एप्लीकेशन अधिष्ठापित करेंगे। इस अधिष्ठापित एप्लीकेशन में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन डाटा का ही आवेदन पत्र समाहित हो जिसे आयोग की वेबसाईट पर लागू किया जा सके। निर्वाचक सूची के प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावा/आपत्ति निष्पादन के उपरान्त उस प्रारूप प्रकाशन की निर्वाचक सूची के साथ पूरक (Supplement) रूप में तैयार किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया जाय। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन वेबसाईट पर भी फोटो रहित किये जाने का प्रावधान एवं जनता की माँग को देखते हुए ऑन लाईन नामों को खोज करने का भी प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. दिनांक--08.12.2015 एवं 09.12.2015 को राज्य के आये जिला पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि कुछ एन0आई0सी0 कर्मी 5:00 बजे कार्यालय समाप्त कर चले जाते हैं जबकि निर्वाचन का कार्य उसके बाद भी चलता है। ऐसी परिस्थिति में जिला सूचना

विज्ञान पदाधिकारी को देर तक आवश्यकतानुसार कार्यालय में रहने हेतु राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी के स्तर पर निदेश दिया जाय।

6. एन0आई0सी0 प्रतिनिधियों को अब तक मतदाता सूची में किये गये कार्य हेतु प्रपत्र ''क'' की प्रखण्ड स्तर से की गई तैयारी से अवगत कराया गया और बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में मतदाता सूची विखण्डीकरण का कार्य प्रपत्र ''क'' के माध्यम से सम्पन्न किया जा चुका है।

7. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी के प्रतिनिधि के अनुरोध पर सॉफ्टवेयर का अंतिम प्रायोगिक जाँच हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना एवं जमुई को किसी एक पंचायत के डाटा के साथ अपने प्रखण्ड के कर्मी को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक--पं०नि०--30--105/2015--2061 /पटना, दिनांक-- 10.12. /दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि-- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी--सह--जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी /उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

De 10/12

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

ज्ञापांक ——/पंचायत, दि० ——

प्रतिलिपि : मेसर्स विजयश्री प्रेस, सहरसा को सूचनार्थ एवं ससमय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, [illegible]/ आई०टी० मैनेजर, [illegible] को सूचनार्थ एवं ससमय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने हेतु प्रेषित।

जिला पं० रा० पदा०

मधेपुरा

11/XII/15